कार्यालय भू–प्रबन्ध आयुक्त एवं पदेन निदेशक सर्वे भू–अभिलेख
(DILRMP) राजस्थान,जयपुर ।

क्रमांक / फा / भूप्रआ / समु / आरआर / 11 / 2 / 10 / 2013 / पार्ट–II / दिनांकः–

भू–प्रबन्ध अधिकारी,
जोधपुर ।

विषयः–राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की प्रति भिजवाने बाबत ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राज्य सरकार द्वारा DILRMP योजना हेतु जिला जोधपुर की समस्त तहसीलों हेतु राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 106, 108 के अन्तर्गत जारी अधिसूचना दिनांक 09.5.2017 का राजस्थान राजपत्र (साधारण) मई 18, 2017 भाग–1 (ख) के पृष्ठ संख्या 9 से 10 तक प्रकाशन हो चुका है। जिसकी छाया प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है ।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

ह०
(अम्बरीष कुमार)
भू–प्रबन्ध आयुक्त,एवं
पदेन निदेशक
सर्वे भू–अभिलेख DILRMP
राजस्थान,जयपुर

क्रमाक / फा / समसंख्यक / 1984-1988 दिनाकः– 27-7-2017

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को छाया प्रति संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1– सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी, DILRMP मु0का0 जयपुर
2– जोधपुर जोन–ए श्री सुरेन्द्र शर्मा,भूमापक मु0का0 जयपुर
3– प्रभारी RBAAS मु0का0जयपुर
4– प्रोग्रामर मु0का0जयपुर
5– प्रभारी अभिलेखागार (लाईब्रेरी) मु0का0जयपुर

अतिरिक्त भू–प्रबन्ध आयुक्त,
राजस्थान, जयपुर

भाग 1 (ख)
महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)
आदेश
जयपुर, मई 10, 2017

संख्या प.12(16)राज/वाद/08, पार्ट :– श्री आर.आर. बैंसला (पंजीयन क्रमांक आर/1055/1995), अतिरिक्त राजकीय अधिवक्ता एवं अपर लोक अभियोजक, जयपुर की सेवाएं तुरन्त प्रभाव से समाप्त की जाती है।

आज्ञा से,
आशुतोष कुमार मिश्रा,
शासन सचिव, विधि।

विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)
आदेश
जयपुर, मई 10, 2017

संख्या प.12(16)राज/वाद/08, पार्ट :– श्री अनिल यादव (पंजीयन क्रमांक आर/311/07) उप–राजकीय अधिवक्ता एवं अपर लोक अभियोजक, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ जयपुर द्वारा प्रस्तुत त्याग–पत्र तुरन्त प्रभाव से स्वीकृत किया जाता है।

आज्ञा से,
आशुतोष कुमार मिश्रा,
शासन सचिव, विधि।

राजस्व (ग्रुप–1) विभाग
अधिसूचनाऐं
जयपुर, मई 9, 2017

संख्या 13(9)राज./ग्रुप–1/2014 पार्ट :– राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 (अधिनियम संख्या–15) की धारा–108 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा निर्देश देती है कि जिला जोधपुर की समस्त तहसीलों के समस्त ग्रामों में (धारा–106 के संलग्न सूची में वर्णित अनुसार) अधिसूचित पूर्ण सर्वेक्षण/पुनः सर्वेक्षण तथा भू–अभिलेख संक्रियाओं को डिजीटल इण्डिया भू–अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (डीआईएलआरएमपी) के उद्देश्यों की क्रियान्विति हेतु, स्थाई अपर सर्वे एवं भू–अभिलेख अधिकारी नियुक्त नही होने के कारण निर्दिष्ट संक्रियाओं के भारसाधन हेतु (धारा–106 के संलग्न सूची के कॉलम संख्या–5 में वर्णित अनुसार) अपर सर्वे एवं भू–अभिलेख अधिकारी नियुक्त किया जाता है।

जयपुर, मई 9, 2017

संख्या 13(9)राज./ग्रुप–1/2014 पार्ट :– राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 (अधिनियम संख्या–15) की धारा 106 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा निर्देश देती है कि जिला जोधपुर की समस्त तहसीलों (संलगन सूची अनुसार) के समस्त ग्रामों का डि–नोवो ऑपरेशन डिजीटल इण्डिया भू–अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (डीआईएलआरएमपी) के अन्तर्गत हाई रेजोलेशन सैटेलाईट इमेजरी (एचआरएसआई) व डीजीपीएस/ईटीएस की सहायता से जी.आई.एस. प्लेटफार्म पर डिजीटल सर्वे/रीसर्वे (स्पेशल डाटा) एवं नया डिजीटल भू–अभिलेखन तैयार करने संबंधी कार्यवाही इस अधिसूचना के राजस्थान राज–पत्र में प्रकाशित होने की दिनांक से प्रारम्भ कर दी जायेगी।

संलग्न :–उपरोक्तानुसार सूची।

DILRMP के अन्तर्गत सर्वे/री–सर्वे एवं भू–अभिलेखन हेतु अधिसूचित होने वाली तहसीले एवं अधिकारी की नियुक्ति संबंधी सूची :–

क्र.सं.	नाम जिला	क्र.सं.	तहसील	अपर सर्वे एवं भू–अभिलेख अधिकारी
1	2	3	4	5
1.	जोधपुर	1	शेरगढ	भू–प्रबन्ध अधिकारी, जोधपुर
		2	बालेश्वर	

1	2	3	4	5
		3	फलौदी	
		4	बाप	
		5	लोहावट	
		6	बिलाडा	
		7	पीपाड शहर	
		8	ओसियां	
		9	बावडी	
		10	तिवरी	
		11	लूनी	
		12	जोधपुर	
		13	भोपालगढ़	

राज्यपाल की आज्ञा से,
एस.आर. पिलानिया,
संयुक्त शासन सचिव।
राजस्व (ग्रुप–1) विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर।

उपनिवेशन विभाग
अधिसूचनाऐं
जयपुर, मई 8, 2017

संख्या प.4(1)उप/2010 :– राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम, 1954 (1954 का राजस्थान अधिनियम संख्या 27) की धारा 6 सपठित राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का राजस्थान अधिनियम संख्या 15) की धारा 26 की उप–धारा (1) के खण्ड (क) सपठित धारा 260 की उप–धारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार उपनिवेशन तहसीलों में पदस्थापित नायब तहसीलदारों को "राजस्व लोक अदालत अभियानः न्याय आपके द्वार–2017" की अवधि के दौरान उपनिवेशन तहसीलदार की समस्त शक्तियां प्रदान करती है।

यह अधिसूचना "राजस्व लोक अदालत अभियानः न्याय आपके द्वार–2017" के लिये 31–07–2017 तक प्रभावशील रहेगी।

जयपुर, मई 8, 2017

संख्या प.4(1)उप/2010 :– राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम, 1954 (1954 का राजस्थान अधिनियम संख्या 27) की धारा 6 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार "राजस्व लोक अदालत अभियानः न्याय आपके द्वार–2017" हेतु राजस्थान के जिलो मे कार्यरत भारतीय प्रशासनिक सेवा/राजस्थान प्रशासनिक सेवा के शिविर प्रभारी अधिकारियों को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (1955 का राजस्थान अधिनियम संख्या 3) तथा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का राजस्थान अधिनियम संख्या 15) के अधीन इन्दिरा गांधी नहर परियोजना, गंग एवं भाखड़ा नहर परियोजना क्षेत्र में उद्भूत होने वाले मामलों के सम्बन्ध में कलक्टर एवं भू–अभिलेख अधिकारी की शक्तियों का उनके निर्धारित कार्य क्षेत्र में प्रयोग करने हेतु अधिकृत करती है।

यह अधिसूचना "राजस्व लोक अदालत अभियानः न्याय आपके द्वार–2017" के लिये 31–07–2017 तक प्रभावशील रहेगी।

जयपुर, मई 8, 2017

संख्या प.4(1)उप/2010 :– राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम, 1954 (1954 का राजस्थान अधिनियम संख्या 27) की धारा 2(1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार एतद्द्वारा उक्त अधिनियम एवं इसके अन्तर्गत बने नियमों के तहत कलक्टर द्वारा अधिरोपित कर्तव्य एवं शक्तियों का प्रयोग "राजस्व लोक अदालत अभियानः न्याय आपके द्वार–2017" हेतु राजस्थान के जिलों में कार्यरत भारतीय प्रशासनिक सेवा/राजस्थान प्रशासनिक सेवा के शिविर प्रभारी अधिकारियों द्वारा उनके निर्धारित कार्य क्षेत्र में किये जाने हेतु अधिकृत करती है।

यह अधिसूचना "राजस्व लोक अदालत अभियानः न्याय आपके द्वार–2017" के लिये 31–07–2017 तक प्रभावशील रहेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,
कालूराम,
शासन उप सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।